झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 06 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री जितवाहन महतो, ग्रा0+पो0+थाना– कैरो, लोहरदगा ।

DISPOSED 22/03/23 — बनाम

प्रतिवादी DSO, लोहरदगा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–06 / 2023	

परिवादी श्री जीतवाहन महतो, ग्राम+पो0+था0–कैरो, जिला–लोहरदगा का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद पत्रों में परिवादी द्वारा PDS वितरक अन्सार स्वयं सहायता समूह के संचालको के विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:–

1) लाभुकों को डरा–धमका कर 3–4 कि0ग्रा0 अनाज कटौती करना एवं अनाज की कालाबाजारी करना।
2) राशन दुकान संचालिका के परिवार में अवैध रूप से एक ही परिवार में कुल 5 राशन कार्ड रखते हुए राशन का उठाव किये जाने का भी आरोप लगाया गया है।
3) इसके अतिरिक्त उक्त परिवार के व्यक्तियों द्वारा 5–6 हजार रू0 लेकर अवैध तरीके से राशन कार्ड बनाने का भी आरोप लगया गया है।
4) यह भी कि उक्त के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में विभिन्न कार्यालयों में आवेदन दिया गया था किन्तु अबतक दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं हुई।

उक्त मामले में आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.03.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–22.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

6.3.23
(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

06/03/2023
(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश...docx87

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.03.2023	वाद संख्या–06 / 2023 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा उपस्थित। आज की सुनवाई ऑडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। आयोग ने जब परिवादी से उनकी समस्या सुनवाई के दौरान जाननी चाही, तो परिवादी श्री जीतवाहन महतो का कहना है कि उन्हें राशन से संबंधित कोई शिकायत नहीं है। उनकी शिकायत यह है कि संबंधित स्वयं सहायता समूह से उन्हें वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। खाद्य आयोग ने परिवादी को इस आशय की जानकारी दी कि खाद्य आयोग उन्हें उनके हक का राशन उपलब्ध करवा सकता है, सूचना उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सूचना आयोग में संपर्क करना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 89